आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.01.2021	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–35/2020** श्रीकान्त राम –बनाम– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–**भूपतडीह**, थाना नं0–**252**, खाता नं0–**13**, प्लॉट नं0–**108**, रकवा–**02** डी0 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–32 के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक स्वंय उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि :– बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–**भूपतडीह**, थाना नं0–**252**, खाता नं0–**13**, प्लॉट नं0–**108**, रकवा–**02** डी0 भूमि अर्जन किया गया है। मुआवजा राशि **96,578.00** रू0 दिया गया है। जमीन का सर्वोच्च मूल्य से भी कम है। स्थल रोड से सटे है और वहॉ व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी है। मकान का राशि **8,31,086.00** रू0 है। इस राशि से संतुष्ट नहीं है। मकान में 5 रूम, जो सिमेन्ट और कोन्क्रीट से मजबूत बना हुआ है। जिसमें से चार रूम पक्का ढलाई है और 2 रूम कर्कट का बना हुआ है। इसके अलावे एक बाथरूम एक राष्टीक लैट्रीन है तथा एक पक्का कुऑ, जिसकी गहराई 50 फीट है, जिसमे पानी का श्रोत भी अच्छा है। इतना सबकुछ होने के बावजूद मुझे मात्र **8,31,086.00** रू0 दिया गया है। आवेदक द्वारा दिये गये राशि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1069**/भू0अ0, दिनांक–**10.09.2020** के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला भू–अर्जन	

Scanned with CamScanner

पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है। जिसका दर 11,74,921.76 रू0 प्रति एकड़ की दर से निर्धारित की गई है। उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित है। भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है एवं संरचना का 7,34,508.00 रू0 भुगतान किया जा चुका है।

अंचल अधिकारी, बाघमारा का पत्रांक–1069, दिनांक–30.12.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित था, वर्त्तमान में उसे तोड़कर सड़क निर्माण कर दिया गया है। अर्जित भूमि का हाल सर्वे खतियान के अनुसार किस्म बाईद है। वर्त्तमान में उक्त भूमि पर सड़क बन रहा है। पूर्व में मकान एवं दुकान था, जिसे तोड़ दिया गया है।

अतः पक्षो को सुनने एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–1069/भू0अ0, दिनांक–10.09.2020 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भूमि आवासीय भूमि है। जिसका दर 11,74,921.76 रू0 प्रति एकड़ की दर से निर्धारित की गई है। उक्त भूमि पर संरचना अवस्थित है। भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है एवं संरचना का 7,34,508.00 रू0 भुगतान किया जा चुका है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुआवजा राशि का भुगतान कम किया गया है। NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि आवेदक/NHAI एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को दें।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

Scanned with CamScanner